संख्या–134 / वित्त अनुभाग–3 / 2001

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1– सचिव शिक्षा / सचिव कृषि उत्तरांचल शासन।
2– शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा उत्तरांचल।
3– निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल पौड़ी
4– वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 1 दिसम्बर 2001

विषयः– वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–181 / दस–97–1–शिक्षा / 97, दिनांक 20 फरवरी 1997 में राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए दिनांक 1–1–1996 से लागू वेतनमानों में समयमान वेतनमान की व्यवस्था, शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1007 / दस–17जी–98, दिनांक 10–7–1998 के प्रस्तर–4 द्वारा दिनांक 1–1–1996 के बाद स्थगित कर दी गई थी। श्री राज्यपाल महोदय उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10–7–1998 के प्रस्तर–4 को निरस्त करते हुए वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर प्रदेश की सहायता प्राप्त शिक्षण / प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 20–2–1997 में जारी समयमान वेतनमान की व्यवस्था को दिनांक 1–1–1996 से प्रभावी वेतनमानों में भी यथावत् बनाये रखने की स्वीकृति प्रदान करते है।

वेतन निर्धारण / पुर्ननिर्धारण

2–(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में वेतनवृद्धि स्वीकृति होने के फलस्वरूप सम्बन्धित कर्मचारी का वेतन अनुगन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2)उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नही होगा अर्थात्

वेतनवृद्धि की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहाँ समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनाक 1–1–1996 के पूर्व तथा कनिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1–1–1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनिष्ठ कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4)वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी/कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान मे अगली वेतनवृद्धि , वेतन पुनर्निधारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनांक 1–1–1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य हो रहा हो , तो पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में अलग–अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे

कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले क्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पद धारक पुनरीक्षित वेतनमान मे वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1–1–1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिए अर्ह होती है तो उसे यह लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलो में जहाँ किसी कर्मचारी/अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है जो उसे दिनांक 1–1–1996 तक या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिला हो, तो ऐसे पद पर उसका वेतन शासन के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 22–ए (1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च क्रम पर निर्धारित होगा और इसमे मूल नियम 22–बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे तदनुसार शासनादेश संख्या प0मा0नि0–357/दस– 21(एम) /97 दिनाक 31 दिसम्बर 1997 के प्रस्तर–8(1) तथा प्रस्तर–8(2) निरस्त समझे जाये।

र वेतनवृद्धि 3–(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान
न का अधिकतम रू0 10500 तक है जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुचने के फलस्वरूप वृद्धिरोध की स्थिति में आ जाय तो उनके वेतनमान को उसमे अन्तिम वेतनवृद्धि के बराबर तीन वेतनवृद्धियों की धनराशि जोड़कर बढ़ा दिया जाय। यह वेतनवृद्धियॉ संबंधित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के पश्चात वार्षिक आधार पर देय होगी। वृद्धिरोध वेतनवृद्धि ऐसे पदधारको को ही अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पहुँचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में वेतनवृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु संबंधित पदधारक के पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रूपया 10500 से अधिक हैं, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुँचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसे वेतनवृद्धियों के अधिकतम संख्या तीन होगी।

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय

/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को संबंधित वेतनमान का भाग माना जायेगा तथा मूल नियमो के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

शर्तें एंव प्रतिबंध4– (1) उपर्युक्त प्रस्तर–1 के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिए प्रोन्नतीय के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर संबंधित पद धारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नतीय का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानो में पद उपलब्ध हो तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी /कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या–प0मा0नि0–357/दस–21(एग)/97 दिनांक 31 दिसम्बर 1997 के संलग्नक–ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पद धारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नही होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा ।

(3) सन्तोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या–761/कार्मिक–1/93,दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गई है । अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि/वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय /अगला वेतनमान की अनुमन्यता हेतु सन्तोषजनक सेवा का निर्धारण उक्त शासनादेश के अनुसार किया जाय ।

4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इनकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके बाद देय सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा । इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद /संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारियों के मामले को सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है ।

(5) यदि किसी कर्मचारी ने दिनॉक 1–1–1996 के बाद की तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है और उसे सेवा अवधि के आधार पर वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान दिनॉक 1–1–1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय हो, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा ।

(6)समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनॉक 1–1–1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनॉक 1–1–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा उसे तत्पश्चात देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा ।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिये सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की सन्तोषजनक अनवरत सेवा के शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जॉय । परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनॉक 1–1–1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं,उनके लिये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी । प्रोन्नति/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे ।

रु0 8000–13,500 या उससे उच्च के समयमान व्यवस्था

5– ऐसे पदधारक जिनके पद का दिनॉक 1–1–1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रुपये 8000–13500 या उससे अधिक है, के लिये समयमान वेतनमान की पदों पर वेतनमान पूर्व वेतनमानों में लागू व्यवस्था (जिसे दिनॉक 1–1–1996से स्थगित कर दिया गया था) पुनरीक्षित वेतनमान वेतनमानों मे दिनॉक 31–12–2000 तक लागू रहेगी की दिनॉक 1–1–2001 या उसके पश्चात् उपर्युक्त वेतनमान के पदों पर समयमान वेतनमान की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश अलग से जारी किये जायेंगे ।

अवशेष 6– भुगतान की प्रकिया

(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिकारियों / कर्मचारियों को दिनॉक 1–12–2001 से भुगतान नकद किया जायेगा । दिनॉक1–1–1996 से दिनॉक 30–11–2001 तक की देय समस्त अवशेष धनराशि सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो दिनॉक 30–11–2003 तक निकाली नहीं जा सकेगी । यदि कोई अधिकारी / कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है और यह आवंटन विभागाध्यक्ष द्वारा होना है, तो उसे तुरन्त कर दिया जाये । यदि यह खाता आवंटित नहीं होता है, तो उस स्थिति में उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0)के रूप मे दी जायेगी । परन्तु धनराशि के जिस अंश का एन0एस0सी0 उपलब्ध न हो,वह नकद दे दी जायेगी ।

(2) 30–11–2001 तक सेवा निवृत्त हुए अधिकारियों / कर्मचारियों के मामले में तथा इस तिथि तक मृत्यु की दशा में उनको देय धनराशि का भुगतान इस शासनादेश के निर्गमोपरान्त नकद किया जा सकता है ।

7– उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी / कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिये संशोधित विकल्प प्रस्तुत करना चाहे, तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पद धारक को उपयुक्तता अनुसार लाग स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर संशोधित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

8– (1)इस शासनादेश द्वारा जारी व्यवस्था ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी, जहॉ पूर्व मे समयमान वेतनमान का लाभ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के समान अनुमन्य था ।

(2)इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 / 10 जुलाई, 1998 एवं उसके कम में जारी अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जॉयें ।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव वित्त

संख्या–134(1)/वित्त अनुभाग–3/2001,तद्दिनॉकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, श्री राज्यपाल,देहरादून ।
2– मानव संसाधन अनुभाग/कृषि अनुभाग, उत्तरांचल शासन ।
3– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
4– समस्त मण्डलीय संयुक्त /उप शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल ।
5– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल ।
6– समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाऐं, उत्तरांचल ।
7– उत्तरांचल के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य ।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून ।
9– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

संख्या–134 (1)वित्त अनुभाग–3/2001 तद्दिनॉकित ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तरांचल, 5–ए , थार्नहिल रोड, सत्यनिष्ठा भवन, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त